



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, मंगलवार 24 मई, 2011/3 ज्येष्ठ, 1933

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 दिसम्बर, 2010

**संख्या एएचवाई-एफ(4)-4/2005-लूज.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गोवध निशेध अधिनियम, 1979(1979 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पशुपालन-क-(3)-1/79 तारीख 18.9.1980 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 28.3.1981 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध नियम, 1980 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवध निशेध (संशोधन), 2010 है।

**2. नियम 7-क का अन्तः-स्थापन.**—हिमाचल प्रदेश गोवध निशेध, नियम, 1980 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम, 7, के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**“7-क.गो निर्यात हेतु अनुज्ञा पत्र:—**

- (1) अधिनियम की धारा 4 ख की उप-धारा (2) के अधीन गो निर्यात हेतु अनुज्ञा-पत्र प्ररूप ‘ड ड’ में जारी किया जाएगा।
- (2) अधिनियम की धारा 4 ग के अधीन गो निर्यात हेतु विशेष अनुज्ञा-पत्र प्ररूप ‘ड ड ड’ में जारी किया जाएगा।
- (3) अधिनियम की धारा 4 ख की उप-धारा (2) और धारा 4 ग के अधीन, गाय/ बछड़ी/सांड/ बैल/नर वछड़े के मामले में अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु फीस पचास ₹ प्रति पशु तथापि, जन हित में, जैसे कि अन्य राज्यों के गोसदनों में गायों के ले जाने हेतु विशेष अनुज्ञा पत्र जारी करने के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को फीस में छूट देने की शक्ति होगी।

**3. प्ररूप ‘ड ड’ और ‘ड ड ड’ का जोड़ा जाना.**—उक्त नियमों में, प्ररूप ‘ड’ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप ‘ड ड’ और ‘ड ड ड’ जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

**“प्ररूप ड ड”**  
{नियम 7 क देखें}

बुक संख्या-----

क्रमांक-----

श्री/श्रीमती-----सपुत्र/सपुत्री श्री-----7-निवासी/मालिक  
को----- हिमाचल प्रदेश राज्य से-----  
(जगह, स्थान/राज्य) को गाय (जिनका विवरण नीचे दिया गया है)----- (प्रयोजन)  
हेतु निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**गायों का विवरण:—**

- (1) गायों की संख्या
- (2) लिंग
- (3) दुधारू गायों की संख्या
- (4) दुध न देने वाली गायों की संख्या
- (5) पहचान चिन्ह/रजिस्ट्रीकरण संख्या/गोदन संख्या
- (6) आयु

यह अनुज्ञा-पत्र इसके जारी होने की तारीख से केवल साठ दिन तक मान्य है।

हस्ताक्षर/—  
अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले  
प्राधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर।

**“प्ररूप ड ड ड”**  
{नियम 7 क (2) देखें}

बुक संख्या-----

क्रमांक-----

श्री/श्रीमती-----सपुत्र/सपुत्री श्री-----  
निवासी/मालिक को----- हिमाचल प्रदेश से----- (जगह/

राज्य) को गाय (जिनका विवरण नीचे दिया गया है)----- (प्रयोजन) हेतु निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

### गायों का विवरण:—

- (1) गायों की संख्या
- (2) लिंग
- (3) दुधारू गायों की संख्या
- (4) दूध न देने वाली गायों की संख्या
- (5) पहचान चिन्ह/पंजीकरण संख्या/गोदन संख्या
- (6) आयु

यह अनुज्ञा-पत्र इसके जारी होने की तारीख से केवल साठ दिन तक मान्य है”।

हस्ताक्षर/—  
विशेष अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले  
प्राधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर।

-----

*[Authoritative English text of this Department's Notification No. Ahy-F(4)-4/2005-Loose as required under Article 348(3) of the constitution of India].*

## ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 30th December, 2010*

**No. Ahy-A(3)-06/2010.**—In exercise of the powers conferred by sanction 10 of the Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Act, 1979 (Act 11 of 1979), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Rules, 1980 notified vide this Department's notification No. Pashupalan-Ka(3)-1/1979 dated 18.9.1980 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 28.3.1981, namely:—

**1. Short Title.**—These rules may be called the Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter (Amendment) Rules, 2010.

**Insersion of rule 7-A.**—(2) In Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Rules, 1980 (herein-after referred to as the said rules), after rule 7, the following rules shall be inserted, namely:—

### “7- A Permit for export of Cows:—

- (1) A permit for the export of cows under subsection (2) of section 4 B of the Act shall be issued in Form EE.

(2) Special permit for export of cows under section 4 C of the Act shall be issued in Form EEE.

(3) The fee for issuing a permit under subsection(2) of section 4 B and section 4 C of the Act shall be ₹ 50/- per animal in case of cow/ heifer/bull/ bullock/ ox/ male calf, however for issuing special permit in matters of public interest, like transport of cows to the Gosadans of other States, the competent Authority shall have power to waive of the fee.

**Insertion of Forms ‘EE’ and ‘EEE’.**—In the said rules, after Form-‘E’, the following Forms “EE” and “EEE” shall be inserted, namely:—

**“Form EE”**  
(See rule 7 A(1))

Book No.-----

Serial No.-----

Shri./ Smt.-----, Son/Daughter of Sh.-----  
-----, resident/proprietor of -----, is  
permitted to export cows (the description of where of is given hereunder) from the State of  
Himachal Pradesh to -----(place, station/state) for -----  
(purpose).

**Description of cows**

- (1) Number of cows
- (2) Sex
- (3) Number of cows in milk
- (4) Number of dry cows
- (5) Identification Mark/ Registration No./ Tattooing No.
- (6) Age

This permit is valid for sixty days only from date of its issue.

Sd/-  
*Signature with stamp of the  
Permit Issuing Authority.*

**“Form EEE”**  
(See rule 7 A(2))  
Special Permit

Book No.-----

Serial No.-----

Shri./ Smt.-----, Son/Daughter of Sh.-----  
-----, resident/proprietor of -----, is  
permitted to export cows (the description of where of is given hereunder) from the State of  
Himachal Pradesh to -----(place, station/state) for -----  
(purpose).

**Description of cows**

- (1) Number of cows
- (2) Sex
- (3) Number of cows in milk
- (4) Number of dry cows

(5) Identification Mark/ Registration No./Tattooing No.

(6) Age

This permit is valid for sixty days only from date of its issue.

Sd/-

*Signature with stamp of the  
Special Permit Issuing Authority.*

**Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department  
Sirmour District, Nahan**

**NOTIFICATION**

*Nahan, the 21st May, 2011*

**No. FDS-34/690.**—In supersession of all previous notifications and in exercise of the powers conferred upon me under Clause-3 (i) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977 I, Meera Mohanty IAS, District Magistrate, Sirmour do hereby fix the retail prices including all taxes and other incidental charges in respect of the following essential commodities that may be charged by the dealers or a retailer in Sirmour district with immediate effect:—

S. No. of the Articles as per schedule-I of the said order	S. No.	Name of Articles	Maximum price inclusive of all taxes
12	1.	Meat Goat/Bheda. Per Kg.	155-00
	2.	Meat Pig. Per Kg.	85-00
	3.	Chicken/Broiler dressed. Per Kg.	135-00
	4.	Fish Fried. Per Kg.	140-00
	5.	Fish un-fried. Per Kg.	80-00
	6.	Chicken alive Per Kg.	90-00
17	7.	Full diet (Rice, Chapati with Dal and Vegetable)	30-00
	8.	Chapati Tandoori per Chapati.	3-00
	9.	Chapati Tawa per Chapati.	2-00
	10.	Stuffed praantha per praantha.	10-00
	11.	Three poori with chana per plate. Two poori with chana per plate	20-00 15-00
	12.	Rice Permal (200 Gms.) per plate.	12-00
	13.	Dal Fried per plate.	15-00
	14.	Vegetable special per plate.	20-00
	15.	Palak Paneer/Mutter Paneer per plate.	30-00
	16.	Meat plate with 5 pieces weighing 200 Gms.	45-00
	17.	Chicken Curry plate with 5 pieces weighing 200 Gms.	45-00
	18.	Dahi/Raita per plate.	10-00
18	19.	Milk per liter.	22-00
	20.	Milk all brands in packets	On printed rates
	20.	Dahi per Kg.	30-00
	21.	Paneer per Kg.	155-00
20	22.	All Cold Drinks of 200 ML.	On printed rates

**NOTE:**—Every dealer/shopkeeper will issue cash memo to each consumer and keep duplicate copy of the same for inspection purpose.

The dealer/shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises which will be signed and dated by the Owner/Partner/Manager.

**This notification shall be valid for a period of one month from the date of publication in the official Gazette.**

Sd/-  
District Magistrate,  
Sirmour at Nahan.

### कार्मिक विभाग (नि०-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 21 मई, 2011

**संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-8/2010.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में निजी सहायक, (वर्ग-II, अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग निजी सहायक, (वर्ग-II, अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(2) यह नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे :

परन्तु ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे :

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय-समय पर जारी निजी सहायक के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों में उपबंधित सीधी भर्ती और प्रोन्नति की पद्धति प्रवृत्त नहीं रहेगी।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
प्रधान सचिव (कार्मिक)।

उपाबन्ध-“क”

**हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में निजी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम**

1. **पद का नाम.**—निजी सहायक।
2. **पदों की संख्या.**—जैसी सम्बद्ध विभाग में सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर की गई है और मंजूर की जाएगी।
3. **वर्गीकरण.**—वर्ग-II (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं।
4. **वेतनमान.**—पे बैंड : 10300—34800/- रुपए  
जमा 4200/- रुपए ग्रेड पे।

5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.—अचयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—लागू नहीं।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा व ऐसा न होने पर सैकण्डमेंट आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का संयुक्ततः ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में चार वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य होना चाहिए, दोनों के न होने पर कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 16 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 16 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समरूप वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमेंट आधार पर।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पदर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

**स्पष्टीकरण.**—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।



12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—लागू नहीं।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।

-----

*[Authoritative English Text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-8/2010 dated 21-05-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## PERSONNEL (AP-III) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, 21st May, 2011*

No. Per (AP)-C-A (3)- 8 /2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Personal Assistant, (Class-II, Non-Gazetted, Ministerial Services) in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:-

**1. Short title, commencement and application.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Personal Assistant, (Class-II, Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of State of Himachal Pradesh :

Provided that these Rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/ High Court of H.P.

The method of direct recruitment and promotion provided in Direct Recruitment and Promotion Rules for the posts of Personal Assistant under various Departments of the Himachal Pradesh Government issued, from time to time, shall cease to operate.

By order,  
Sd/-  
*Principal Secretary (Personnel).*

### **Annexure-“A”**

#### **Common Recruitment & Promotion Rules for the posts of Personal Assistant (Class-II, Non Gazetted) in various Departments of Himachal Pradesh Government**

1. **Name of Post.**—Personal Assistant
2. **Number of Posts.**—As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.
3. **Classification.**—Class-II (Non-Gazetted) Ministerial Services
4. **Scale of Pay.**—Pay band Rs.10300-34800+4200 Grade Pay.
5. **Whether “Selection” Post or “Non-Selection” Post.**—Non-Selection.
6. **Age for Direct Recruitment.**—N.A.
7. **Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment.**— N.A.
8. **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.**—Age : N.A., Educational Qualifications : N.A.
9. **Period of Probation, if any.**—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
10. **Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.**—100% by promotion failing which on secondment basis.
11. **In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer is to be made.**—By promotion from amongst the Senior Scale Stenographers of concerned Departments who possess 6 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Senior Scale Stenographers with 11 years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Senior Scale Stenographer/ Junior Scale Stenographer out of which four years essential service as Senior Scale Stenographer, failing both by promotion from amongst the Junior Scale Stenographers possessing 16 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation :

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

**Explanation I.**—For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

**Explanation II.**—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**Explanation.**—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

**12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**—As may be constituted by the Govt. from time to time.

**13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.**—As required under the Law.

**14- Essential requirement for a direct recruitment.**—N.A.

**15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.**—N.A.

**16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Departmental Examination.**—Not Applicable.

**18. Power to Relax.**—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

## GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT SECTION-A

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 21st May, 2011*

**NO. GAD-A(B)8-4/2001.**—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare 10th June, 2011 and 12th June, 2011 as Public Holiday on account of general elections of Panchayati Raj Institutions in the areas of those Panchayati Raj Institutions in Himachal Pradesh where the

elections are scheduled to be held in these institutions. All Government Offices/Boards/Corporations/Educational Institutions and Industrial Establishments under Industrial Disputes Act and shops will remain closed on the said date in the areas of these Institutions. However, It may be ensured that this would be a paid holiday to the daily waged employees and also within the meaning of Section 25 of Negotiable Instrument Act 1881 working in the areas of those Panchayats where the elections are scheduled to be held.

All the Deputy Commissioners are authorized to declare a public holiday on the actual date of poll in the concerned areas within their jurisdiction. The public holiday declared by the Deputy Commissioners would be applicable only in those areas where the elections/bye-election are taking place.

It is, however clarified that special casual leave/maximum facilities may be given to those employees who are working in different places in the State and have a right to vote in other places in the Pradesh on the production of certificate from the concerned Presiding Officer that the employee has actually cast his/her vote.

By order,  
Sd/-  
**RAJWANT SANDHU,**  
Chief Secretary.

Copy for information and necessary action is forwarded to the Secretary (Panchayati Raj/Urban Development/LEP/Industry), Labour Commissioner, H.P. and Director of Industries, H.P. Shimla for information and necessary action as indicated below.

1. To issue similar necessary instructions to the employees working in the Municipal Corporation and the Commercial and Industrial Establishments to which the provisions of the Negotiable Instruments Act do not apply to declare above date as a paid holiday to their employees on the above date.
2. To issue similar necessary instructions under Shops and Commercial Establishment Act to declare above date as close day for all shops and commercial establishment instead of usual day observed by them as closed day during the week.
3. To ask the factories situated in the Himachal Pradesh to grant an additional paid holiday to the Industrial Workers on poll day as provided in Section 135-B of the Representation of People Act, 1951.

Sd/-  
Special Secretary (GAD).

ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री दीना नाथ, निवासी गांव लोहली खड्ड, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री काजल देवी की जन्म तिथि 31-10-2010 है, जोकि ग्राम पंचायत ओसल के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री काजल देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ओसल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 20-6-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जीवा नन्द,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री मोहिन्द्र कुमार वशिष्ठ सुपुत्र श्री योगराज वशिष्ठ, निवासी गांव बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र गगन वशिष्ठ व पुत्री शैली वशिष्ठ की जन्म तिथियां क्रमशः 21-8-1993 व 7-12-1995 हैं, जोकि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र व पुत्री की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 20-6-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जीवा नन्द,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री विनोद कुमार सुपुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव शेरपुर, डाकघर शेरपुर, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र विशाल ठाकुर की जन्म तिथि 26-5-1999 है, जोकि ग्राम पंचायत शेरपुर के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी विनोद कुमार के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शेरपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 20-6-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जीवा नन्द,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

-----

ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री कुलदेव सिंह सुपुत्र श्री चतरो, निवासी गांव द्रमण, डाकघर मेल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र वराये नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम कुलदेव सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत मेल व मुहाल द्रमण के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल मेल, पटवार वृत्त मेल में गलती से बलदेव सिंह दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी कुलदेव सिंह के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 20-6-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जीवा नन्द,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती पिंगी देवी पत्नी श्री कर्म सिंह, निवासी गांव डुग, डाकघर सुदली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि० प्र०) ।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री रितिका राणा (Ritika Rana) की जन्म तिथि 13-12-2006 है, जोकि ग्राम पंचायत सुदली के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री रितिका राणा (Ritika Rana) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुदली के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 20-6-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जीवा नन्द,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

-----  
IN THE COURT OF DR. MADHU CHAUDHARY, MARRIAGE OFFICER-CUM-SUB  
DIVISIONAL MAGISTRATE DALHOUSIE, DISTRICT CHAMBA (H.P.)

In the Matter of :—

1. Shri Tenzin Dhondup son of Shri Lakso Tashi, r/o Tibetan Handicraft Centre, Middle Bakrota, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.)

2. Mrs. Kalsang Choedon s/o Shri Wangdu, r/o Tibetan Handicraft Centre, Middle Bakrota, Tehsil Dalhosie, District Chamba (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

GENERAL PUBLIC

*Subject.*—Application for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Tenzin Dhondup and Smt. Kalsang Choedon have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 that they



have solemnized their marriage on 31st March, 2002 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage, Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 8-6-2011. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

DR. MADHU CHAUDHARY,  
*Marriage officer-cum-Sub Divisional Magistrate Dalhousie,  
District Chamba (H.P.).*

---

IN THE COURT OF DR. MADHU CHAUDHARY, MARRIAGE OFFICER-CUM-SUB  
DIVISIONAL MAGISTRATE DALHOUSIE, DISTRICT CHAMBA (H.P.)

In the Matter of :—

1. Shri Sonam son of Shri Teshi, r/o Tibetan Refugee Handicraft Centre, Middle Bakrota, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.)

2. Mrs. Migmar Lhamo d/o Shri Thupten, r/o Tibetan Refugee Handicraft Centre, Middle Bakrota, Tehsil Dalhosie, District Chamba (H.P.) . . *Applicants.*

*Versus*

GENERAL PUBLIC

*Subject.*—Application for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Sonam and Smt. Migmar Lhamo have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 1st January, 1995 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage, Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 8-6-2011. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

DR. MADHU CHAUDHARY,  
*Marriage officer-cum-Sub Divisional Magistrate Dalhousie,  
District Chamba (H.P.).*

IN THE COURT OF DR. MADHU CHAUDHARY HPAS, MARRIAGE OFFICER-CUM-SUB  
DIVISIONAL MAGISTRATE DALHOUSIE, DISTRICT CHAMBA (H.P.)

Lobsang Dolma d/o Shri Tsering Dorjee, r/o Chandan Kothi near GPO, Tehsil Dalhousie,  
District Chamba (H.P.) . . Applicant.

*Versus*

GENERAL PUBLIC

Notice under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act.

Whereas Lobsang Dolma daughter of Shri Tsering Dorjee, r/o Chandan Kothi near GPO, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of her birth *i.e.* on 26-5-1973 for entry in the record of concerned Municipal Council, Dalhousie, thereof.

Hence, this notice is issued to the General Public that if any one has any objection/Claim regarding the registration of date of her birth in the concerned Monicipal Council, Dalhousie they may file their claim/objections on or before the 6-6-2011 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Municipal Council, Dalhousie for registration.

Given today 6-5-2011 under my signature and seal of this Court.

Seal.

DR. MADHU CHAUDHARY,  
Sub-Divisional Magistrate Dalhousie,  
District Chamba (H.P.).

ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा,  
हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं०.....

श्री वीर सिंह

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री वीर सिंह पुत्र श्री बलिया राम, निवासी तगरोटी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र राहुल चौधरी की जन्म तिथि 14-10-2007 है परन्तु ग्राम पंचायत तगरोटी खास में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे राहुल चौधरी का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3-6-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 11-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार शर्मा,  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।